राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट–II

जयपुर, दिनांक 23 MAY 2018

आदेश

विभागीय समसख्यक आदेश दिनांक 20.07.2017 के अनुसार गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य सिविल रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2017 के तहत वृहद जनहित के प्रकरणों में मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि पेट्रोल पम्प भी आमजन की मूलभूत सुविधा है। यदि 2 किलोमीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नही है तो पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत माना जावे। एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम 8.2.2 (ज) के अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

22/5/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।

24/5/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम